



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक: पीएस/पी.एच.एस./2011

दिनांक: 21 December 2011

- समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
समस्त प्राचार्य/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

URGENT/TODAY

विषय :- सेवारत चिकित्सकों के सामुहिक अवकाश पर जाने से पेन्शनर्स को हो रही परेशानी के निराकरण के सम्बन्ध में।

सेवारत चिकित्सकों के सामुहिक, अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने से पेन्शनर्स को हो रही परेशानी का निराकरण करने हेतु सेवानिवृत्त चिकित्सकों/निजी चिकित्सकों को इस अवधि के दौरान अधिकृत किया जाता है। अवकाश अवधि के दौरान उपचाररत पेन्शनर्स उपरोक्त चिकित्सकों से निजी परामर्श लेकर, अपनी पेन्शनर्स डायरी में जैनेरिक नाम से दवायें लिखवाकर कानफेड की दुकान से पूर्व की भांति दवायें प्राप्त कर सकेंगे।

(बी.एन. शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक पेन्शनर्स, राजस्थान जयपुर।